न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी- राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

रण संख्या 43/2019

1. श्री गउशाला रायसिंहनगर जरिये सचिव सुशीलकुमार पुत्र श्री रमेश कुमार जाति माहेश्वरी निवासी रायसिंहनगर तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

-प्रार्थी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

-अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थिति:-

1. श्री कर्ण जोशी, वकील प्रार्थीगण
2. श्री रविन्द्र बिश्नोइ बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

-: निर्णय :-

दिनांकः-05.11.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री गउशाला रायसिंहगनर ने जरिये सचिव सुशील कुमार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी श्री गउशाला रायसिंहनगर संस्था की जो कृषि भूमि चक 12 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 71 प.नं. 268/350 मु.नं. 10 की कुल 3.0360 है नहरी खातेदारी संस्थागत भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने वा फसल लाने हेतु आवागमन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की चक 12 पीटीडी ए के खाता सं. 41 प.नं. 268/350 मु.नं. 10 उसके हक हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि में मुरब्बा नं. 10 प.न. 268/350 के कि.नं. 20 व 21 में 02-02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक ने अपने आवेदन में कहीं अभिकथित नहीं किया कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, सुगम, सुविधाजनक, नजदीक रास्ता उसे उपलब्ध ना हो। ना ही आवेदन के साथ आस-पास की मौका स्थिति बाबत कोई दस्तावजी साक्ष्य, तथ्य, नक्शा आदि ही पेश किये हैं। न्यायालय के अन्य रास्ता स्वीकृत करने का विकल्प नहीं पाती हैं तो उस दशा में मिन अनावेदक को मुआवजा के तौर पर भूमि ही दिलाया जाने हेतु निवेदन किया।

संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से मौका जाँच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक समेजा के बिन्दु सं. 1 के अनुसार चक 12 पीटीडीए प.नं. 268/350 मु.नं. 10 कि.नं. 1 ता 12 की 3.0360 है कमांड भूमि श्री गउशाला रायसिंहनगर के नाम दर्ज हैं। उक्त रकबा में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हैं। बिन्दू सं. 3-4 के अनुसार आवेदक श्री गउशाला जरिये सचिव सुशील कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति माहेश्वरी सा. रायसिंहनगर प.नं. 268/350 मु.नं. 10 के कि.नं. 20-21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है जोकि उचित हैं। क्योंकि इस मुरब्बा के कि.नं. 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता हैं। जो मौका पर चालू हैं। आवेदक द्वारा प.नं. 268/350 के कि.नं. 20-21 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित रास्ता एक मात्र विकल्प हैं। क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता इसी मु.नं. 268/350 के कि.नं. 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा स्वीकृत व मौका पर चालू रास्ता से सबसे निकट का रास्ता हैं।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में चक 12 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 10 प.न. 268/350 के

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

कि.नं. 20 व 21 में 02–02 बिस्वा पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। ...ल अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता स्वीकृत करने की स्थिति में मुआवजे के तौर पर भूमि दिलवाने हेतु निवदेन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न रिपोर्ट भू.अ.नि. समेजा का अवलोकन किया। चूंकि रिपोर्ट के बिन्दु सं. 1 अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु सं. 3 में प्रस्तावित मार्ग को स्वीकृत करने की अनुशषा की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। भू अभिलेख निरीक्षक समेजा की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 5 के अनुसार "अनावेदक महावीर प्रसाद पुत्र हरदयाल जाति जाट सा. समेजा के नाम दर्ज प.नं. 268/350(10) के कि.नं. 20–21 प्रत्येक .025है रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले अनावेदक के कि.नं. 19 से चिपता कि.नं. 12 में दक्षिण पासा की 0.050है. भूमि दिया जाना उचित हैं। उक्त कि.नं. 12 आवेदक के नाम दर्ज हैं।" अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी रास्ता स्वीकृत करने पर मुआवजा के तौर पर भूमि दिलवाने हेतु निवेदन किया हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) रा.का.अ. का स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 12 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 10 प.न. 268/350 के कि.नं. 20 व 21 में 02–02 बिस्वा पश्चिमी पासा रास्ता इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता हैं कि प्रार्थी रास्ते में आई भूमि में बदले अप्रार्थी सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 के रकबे के चिपती रास्ते में आई भूमि के समान उतनी ही भूमि मुआवजे के तौर पर देगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार प्रार्थी के रकबा में से भूंमि कम करते हुए अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मुमकिन रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 16:16:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: